

- 32. ख्यालीराम पुत्र नाराणा जाति गुर्जर निवासी झड़यांनगर तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू
- 33. दाताराम पुत्र नाराणा जाति गुर्जर निवासी झड़यांनगर तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू
- 34. गिरधारी पुत्र नाराणा जाति गुर्जर निवासी झड़यांनगर तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू
- 35. किशन पुत्र नाराणा जाति गुर्जर निवासी झड़यांनगर तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू
- 36. कोयली पुत्री नाराणा जाति गुर्जर निवासी झड़यांनगर तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू
- 37. पतासदेवी स्त्री मालाराम जाति गुर्जर निवासी झड़यांनगर तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू
- 38. भागीरथ पुत्र माला जाति गुर्जर निवासी झड़यांनगर तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू
- 39. जगदीश पुत्र माला जाति गुर्जर निवासी झड़यांनगर तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू
- 40. किशन पुत्र माला जाति गुर्जर निवासी झड़यांनगर तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू
- 41. मामराज पुत्र माला जाति गुर्जर निवासी झड़यांनगर तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू
- 42. सुवादेवी पुत्री माला जाति गुर्जर निवासी झड़यांनगर तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू
- 43. राजुदेवी पुत्री माला जाति गुर्जर निवासी झड़यांनगर तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू
- 44. सुन्दरदेवी पुत्री माला जाति गुर्जर निवासी झड़यांनगर तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू
- 45. तहसीलदार लैण्ड होल्डर तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू

प्रतिवादीगण

दावा घोषणार्थ एवं रिकार्ड दुरुस्ती

निर्णय दिनांक 27/10/17

वादी ने जरिये वकील वादपत्र इस आशय का पेश किया है कि ग्राम पचलंगी में मेघाराम गुर्जर नाम का व्यक्ति पैदा हुआ। मेघाराम के दो पुत्र सुरजाराम व भोलाराम पैदा हुए। सुरजाराम के तीन पुत्र कालू, फूला, महावीर पैदा हुए तथा भोलाराम के पोकर दत्तक पुत्र के रूप में आया। भोलाराम के कोई सन्तान नहीं थी इस कारण उसने अपने बड़े भाई सुरजाराम के पुत्र पोकरमल (वादी) को गोद लिया था। जिसका रजिस्टर्ड गोदनामा पंजीयन कार्यालय उदयपुरवाटी में दिनांक 13.12.1999 को तस्दीक करवाया गया। प्रथम बन्दोबस्त के समय मेघाराम की मृत्यु हो गई थी और मेघाराम का बड़ा पुत्र कर्ता धर्ता था। दुसरा पुत्र भोलाराम नाबालिग था। इस कारण यप्रथम बन्दोबस्त में मेघाराम की कब्जा काश्त की भूमि ग्राम झड़यांनगर के नया खाता संख्या 135, 133, 346 की खातेदारी अकेले सुरजा उर्फ सुरजमल के नाम दर्ज कर दी और खाता संख्या 379 की भूमि मेघाराम के दोनों पुत्रों सुरजाराम व भोलाराम के नाम दर्ज कर दी। इस कारण वर्तमान खाता संख्या 135, 133, 346 की भूमि में सुरजाराम के साथ साथ उसके छोटे भाई भोलाराम का भी नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए यह वाद पेश किया जा रहा है।

ग्राम झड़यांनगर के वर्तमान खाता संख्या 135 के खसरा नम्बर 4033 रकबा 0.50 है0 4034 रकबा 0.36 है0, 4035 रकबा 0.40 है0 किता 3 कुल रकबा 1.26 है0 है, जिसके पुराने खसरा नम्बर 2535 मी. है।

नया खाता संख्या 133 के खसरा नम्बर 4028 रकबा 0.35 है0 तथा 4030 रकबा 0.06 है0 किता 2 कुल कुले रकबा 0.41 है. है। जिसके पुराने खसरा नम्बर 2531 तथा 2533 है।

नया खाता संख्या 346 के खसरा नम्बर 4023 रकबा 0.25 है0, 4024 रकबा 0.27 है0, 4029 रकबा 0.42 है0, 4038 रकबा 0.45 है0, किता 4 कुल रकबा 1.39 है0 है। जिसके पुराने खसरा नम्बर 2529 व 2536 है।

खाता संख्या 135 में दर्ज खातेदार श्रवणी पत्नि सुरजा कालू फूला महावीर पोकर पुत्र सुरजा हिस्सा 1/8 के स्थान पर वादी 1/16 हिस्से का हकदार है। शेष 1/16 के हिस्से दार प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 है। वादी एवं प्रतिवादी 1 लगायत 3 की माता का निधन हो चुका है। इसी प्रकार खाता संख्या 133 में सुरजा के पुत्रों के नाम 1/8 हिस्सा भूमि में वादी का हिस्सा 1/16 है, तथा सुरजा के पुत्रों प्रतिवादी

(Handwritten Signature)
 उपर्युक्त अधिकारी
 उदयपुरवाटी (जिला)

संख्या 1 लगायत 3 का हिस्सा भी 1/16 है। इसी प्रकार खाता संख्या 346 की खातेदारी अकेले सुरजा के पुत्रों के नाम दर्ज है, जिसके 1/2 हिस्से की खातेदारी का हकदार वादी है, तथा शेष 1/2 हिस्से के अधिकारी प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 है। उपरोक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 मौके पर कब्जा काशत है। कब्जे को लेकर कोई विवाद नहीं है, परन्तु वादी के नाम खातेदारी दर्ज नहीं होने के कारण भविष्य में विवाद उत्पन्न हो सकता है। प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 44 के मध्य वादी को कोई विवाद नहीं है। वादी इनके खिलाफ कोई सहायता भी नहीं चाहता है, परन्तु खातेदार होने के कारण इनको पक्षकार बनाया गया है। अंत में निवेदन किया है कि घोषणा इस आशय की फरमाई जावे कि वादपत्र की मद संख्या 3 में दर्ज भूमि खाता संख्या 135 तथा 133 में वादी का हिस्सा 1/16 तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 का हिस्सा 1/16 तथा खाता संख्या 346 में वादी का हिस्सा 1/2 तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 का हिस्सा 1/2 दर्ज करने के आदेश फरमावें। उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड दुरुस्ती का आदेश प्रतिवादी संख्या 45 को दिया जावे। वादपत्र दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी वास्ते जबाबदेही की गई।

प्रतिवादीगण 1 लगायत 45 बावजूद तामिल सूचना के उपस्थित नहीं होने के कारण इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

साक्ष्यवादी में वादी स्वयं ने तथा प्रतिवादी महावीर व कालुराम एवं फूलचन्द ने स्वयं उपस्थित होकर अपने शपथ पत्र पेश किये। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 ने अपने शपथ पत्रों के जरिये कथन किया है कि वादी का वादपत्र डिक्री किया जाता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है।

बहस दावा अंतिम श्रवण की गई। बहस के दौरान वकील वादी ने प्रस्तुत वादपत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि वादी का वादपत्र वांछित अनुतोष के अनुसार डिक्री फरमाया जावे। वादपत्र डिक्री किये जाने पर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 ने अपनी सहमति जताई है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा विद्वान वकील की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज गोदनामा दिनांक 2.12.1999 पदर्श-1 के अनुसार पोकर पुत्र सुरजा को प्रभाती बेवा भोलाराम द्वारा गोद लिया जाना साबित है। प्रदर्श 9 ए प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत छापौली के अनुसार सुरजाराम व भोलाराम स्व० मेगाराम के जायन्दा पुत्र होना साबित है। ग्राम झड़ायांनगर के खसरा नम्बर 4033 रकबा 0.50 है० 4034 रकबा 0.36 है०, 4035 रकबा 0.40 है० किता 3 कुल रकबा 1.26 है० है, जिसके पुराने खसरा नम्बर 2535 मी. से बनना साबित है। तथा खसरा नम्बर 4028 रकबा 0.35 है० तथा 4030 रकबा 0.06 है० किता 2 कुल कुल रकबा 0.41 है० है। जिसके पुराने खसरा नम्बर 2531 तथा 2533 बनना साबित है। इसी प्रकार भूमि खसरा नम्बर 4023 रकबा 0.25 है०, 4024 रकबा 0.27 है०, 4029 रकबा 0.42 है०, 4038 रकबा 0.45 है०, किता 4 कुल रकबा 1.39 है० है। जिसके पुराने खसरा नम्बर 2529 व 2536 से बनना साबित है। इस तथ्य की पुष्टि पदर्श - 4 मिलान क्षेत्रफल से होती है। पदर्श - 5 से उक्त वर्णित भूमि पैत्रिक भूमि है तथा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत सुरजाराम व भोलाराम उक्त वर्णित भूमि में बराबर - बराबर भूमि के हकदार हैं, लेकिन राजस्व रिकार्ड अकेले सुरजाराम के नाम से दर्ज हो गया। सुरजाराम के चार पुत्र क्रमशः कालु (प्र. नं. 1), फूला (प्र. नं. 2), महावीर (प्र. नं. 3) एवं पोकर (वादी) पैदा हुए। इनमें से वादी पोकर स्व० भोलाराम के गोद चला गया। लेकिन राजस्व रिकार्ड में भोलाराम के हिस्से की भूमि का अंकन गोदपुत्र पोकर के हक में नहीं हुआ। जिसका वह अधिकारी है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज जमाबन्दी संवत् 2068 से 2071 ग्राम झड़ायांनगर के अनुसार भूमि खसरा नम्बर 4033, 4034, 4035 किता 3 कुल रकबा 1.26 है० में श्रवणी पत्नि स्व. सुरजा कालु फूला महावीर पोकर पि० सुरजा हि० 1/8 दर्ज रिकार्ड है। इसी प्रकार ग्राम झड़ायां नगर के भूमि खसरा नम्बर 4023, 4024, 4029, 4038

उपखण्ड अधिकारी
प्रत्यक्षवादी (सुरजा)

किता 4 कुल रकबा 1.39 है० की खातेदारी श्रवणी पत्नि स्व. सुरजा कालु फूला महाबीर पि० सुरजा कौम गुजर के नाम से दर्ज रिकार्ड है। इसी प्रकार ग्राम झड़ायां नगर के भूमि खसरा नम्बर 4028, 4030 किता 2 कुल रकबा 0.41 है० की खातेदारी श्रवणी पत्नि स्व. सुरजा कालु फुला महाबीर पोकर पि० सुरजा हि० 1/8 दर्ज रिकार्ड है। चूंकि वादी पोकर स्व. भोलाराम के गोद चले जाने के कारण उसका अपने मूल पिता के हिस्से की भूमि में कोई हक अधिकार नहीं रह जाता है। उक्त विवेचन से वादपत्र वांछित अनुतोष के अनुसार स्वीकार किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतित होता है।

आदेश

वादपत्र स्वीकार किया जाता है तथा डिकी इस आशय की दी जाती है कि ग्राम झड़ायांनगर के अनुसार भूमि खसरा नम्बर 4033, 4034, 4035 किता 3 कुल रकबा 1.26 है० में श्रवणी पत्नि स्व. सुरजा कालु फुला महाबीर पोकर पि० सुरजा हि० 1/8 दर्ज रिकार्ड है के स्थान पर कालु फूला महाबीर पि० सुरजा को हिस्सा 1/16 एवं पोकर दत्तक पुत्र भोलाराम को हिस्सा 1/16 का, तथा ग्राम झड़ायां नगर के भूमि खसरा नम्बर 4023, 4024, 4029, 4038 किता 4 कुल रकबा 1.39 है० की खातेदारी श्रवणी पत्नि स्व. सुरजा कालु फूला महाबीर पि० सुरजा कौम गुजर के नाम से दर्ज रिकार्ड है, के स्थान पर कालु फूला महाबीर पि० सुरजा हिस्सा 1/2 एवं पोकर दत्तक पुत्र स्व. भोलाराम को हिस्सा 1/2 का तथा ग्राम झड़ायां नगर के भूमि खसरा नम्बर 4028, 4030 किता 2 कुल रकबा 0.41 है० की खातेदारी श्रवणी पत्नि स्व. सुरजा कालु फुला महाबीर पोकर पि० सुरजा हि० 1/8 दर्ज रिकार्ड है के स्थान पर कालु फूला महाबीर पि० सुरजा को हिस्सा 1/16 का एवं पोकर दत्तक पुत्र स्व. भोलाराम को हिस्सा 1/16 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। चूंकि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 की माता श्रवणी देवी फौत हो चुकी है, इसलिए इनका नाम उक्त वर्णित भूमियों से हजब किया जाता है। तदनुसार तहसीलदार उदयपुरवाटी राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। उपरोक्त वर्णित समस्त भूमियों के अन्य इन्द्राजात यथावत रहेंगे।

७ 22/10/12

उपखण्ड अधिकारी

उदयपुरवाटी

उपखण्ड अधिकारी

उदयपुरवाटी (सुनार)

निर्णय आज दिनांक 27/10/12 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

७ 22/10/12

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी

उदयपुरवाटी (सुनार)